



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक.....533/04/ ई0ई0 जोन-05 / 2019

दिनांक.....15-06-19

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
लखनऊ उत्तर प्रदेश।

विषय:- एन0एच0-09 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ाघर तक गंगनहर की बांयी पटरी पर एप्रोच रोड़ के निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट तक सड़क बनाने का कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, जिसके क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाने के लिए हस्तान्तरण हेतु वन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र संख्या-एफपी/यूपी/रोड़/39999/2019 के द्वारा अपलोड किया गया था। जिसमें दिनांक 07.09.2019 को की गयी आपत्तियों के सन्दर्भ में आख्या निम्नवत् है:-

1. सर्विस रोड़ 4.00मी0 चौड़ाई में Non forest land जो कैनाल साइड की ओर दिखाई गई है। वह सिचाई विभाग की कैनाल निरीक्षण हेतु सड़क है जो वन संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है। इसी भाग पर सिचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने के बाद सड़क सुदृढीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इस सड़क के इस भाग के उपरान्त सड़क चौड़ीकरण का कार्य गालन्द में प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण हेतु लगाने वाले विद्युत संयन्त्र के स्थल तक पहुँच मार्ग के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु ऑन लाईन आवेदन किया गया है। इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
2. एन0एच0-9 पुराना एन0एच0-24 का क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण को के0एल0एम0 एवं Geo Refenne के सन्दर्भ में दर्शित कर दिया गया है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

(बी0एन0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता